

अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	8078,76,00	8078,79,00	7844,99,17	-233,79,83
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				232,62,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2415”	Major Head “2415”				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	758437.00	783939.00	783891.58	-47.42
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	25500.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	48644.00
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-48645.00			

(I) ₹49108.55 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतय अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹47884.55 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) “फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” –

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹4859.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1248.00 लाख;

(ग) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹3016.00 लाख;

(घ) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय” – ₹15705.00 लाख;

(खा) “मृदा और जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” –

(क) “कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹2716.15 लाख (₹0.15 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) “जलवायु अनुकूल कृषि पहल” – ₹704.00 लाख;

(गा) “पशुपालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1043.00 लाख;

(I) Provision of ₹49108.55 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹47884.55 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.”-

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹4859.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(b) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1248.00 lakhs;

(c) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - ₹3016.00 lakhs;

(d) “I.C.A.R. Headquarters” - ₹15705.00 lakhs;

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes” - ₹2716.15 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.15 lakh);

(b) “Climate Resilient Agriculture Initiative” - ₹704.00 lakhs;

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹1043.00 lakhs;

(घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” – ₹18593.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अपर्युक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “फसल कृषिकर्म” –

(क) “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” –

(i) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹7422.68 लाख की बचत (₹45622.14 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया के स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1125.16 लाख की बचत (₹57254.66 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)” – ₹1583.05 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.05 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22368.05 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई; और

(D) “General (Agricultural Research and Education Schemes) - Grants-in-aid-General to Central Agricultural University, Imphal” - ₹18593.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh).

Provisions under above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) Under Major Head “2415” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Crop Husbandry” -

(a) “Assistance to I.C.A.R.” -

(i) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹7422.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45622.14 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-sanctioning of arrears of 7th CPC in various State Agricultural Universities.

(ii) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹1125.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57254.66 lakhs);

(iii) “National Agricultural Higher Education Project (EAP)” - saving of ₹1583.05 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22368.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in March, 2020); and

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹552.23 लाख की बचत (₹5822.73 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹552.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5822.73 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय में संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ग) “जनजातिय क्षेत्र उप-योजना – कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹950.11 लाख की बचत (₹3219.11 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बकाया को स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - saving of ₹950.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3219.11 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-implementation of 7th CPC in various State Agricultural Universities.

(खा) “सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता – कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड” – ₹2476.00 लाख की बचत (₹3960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) “General - Assistance to Other Institutions - Agricultural Scientist Recruitment Board” - saving of ₹2476.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3960.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹38989.51 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

2.(I) The above savings were partly (₹38989.51 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹3.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under Major Head “2415” - under the following heads :-

(का) “फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन में सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन” – ₹15703.90 लाख।

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management” - ₹15703.90 lakhs.

(खा) “मृदा तथा जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” –

(क) “अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें – कृषि-वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹2866.04 लाख।

(ख) “जलवायु अनुकूल कृषि पहल” – ₹572.69 लाख।

(गा) “पशुपालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹781.13 लाख।

(घा) “सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता” –

(क) “केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” – ₹18462.00 लाख।

(ख) “केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सहायता अनुदान” – ₹603.75 लाख।

(III) बचतें मुख्य शीर्ष “2415” – “फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1248.00 लाख का अधिक व्यय (₹16048.58 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” - ₹2866.04 lakhs.

(b) “Climate Resilient Agriculture Initiative” - ₹572.69 lakhs.

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes & Schemes” - ₹781.13 lakhs.

(D) “General - Assistance to Other Institutions” -

(a) “Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Imphal” - ₹18462.00 lakhs.

(b) “Grants-in-Aid to Central Agricultural University, Bundelkhand” - ₹603.75 lakhs.

(III) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” - “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R - Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - excess of ₹1248.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16048.58 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.